

राजस्थान सरकार आयोजना विभाग

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5

दिनांक- 17.04.2018

जिला कलेक्टर,
समस्त जिले
राजस्थान।

विषय:- राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार-2018 में भामाशाह योजना के प्रशासनिक प्रतिवेदन की प्रति रखने के क्रम में।

महोदय,

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशों की पालना में दिनांक 01.05.18 से “न्याय आपके द्वार” अभियान प्रारम्भ हो रहा है तथा दिनांक 01.05.18 से आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं में भामाशाह योजना के माध्यम से दिये गये लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

“न्याय आपके द्वार” शिविरों में उक्त प्रशासनिक प्रतिवेदन की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु आयोजना विभाग से संबंधित काउन्टर पर रखवाना सुनिश्चित करें।



(अखिल अरोरा)


प्रमुख शासन सचिव, आयोजना

क्रमांक-एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/पार्ट-5

दिनांक- 17.04.2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरि. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. एसीपी (उपनिदेशक), सूचना, प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, समस्त जिला.....
6. सहायक/उपनिदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, समस्त जिला.....
7. समस्त उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी/ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी.....



(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग